संख्या–भा0स0–21 / 14–2–2018–800(82) / 2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 2018

विषय :– हरदोई में बिलग्राम–उन्नाव मार्ग एस0एच0–38 के किमी0 01 से 02 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम चांदपुर बाहर परगना व तहसील बिलग्राम के गाटा सं0–229 व 230 पर एच0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.08471 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 20 पौधों (पूर्व में प्रस्तावित 46) के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 08 / 2018 / एफसी / 179 दिनांक 15.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रति भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 15.02.2018 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : मूलरूप में 02 प्रति।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO